राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(469)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक - 6 SEP 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(95) डी.एम.ई / 16 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा डॉ0 संतोष ताखर, (मेरिट क्रमांक 109 / अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, जन्म तिथि 04.01.1988) को एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर अस्थाई रूप से वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर मेडिकल कॉलेज, कोटा में पदस्थापन किया गया था। जिसके क्रम में डॉ0 ताखर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को मेडिकल कॉलेज कोटा में वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज कोटा के पत्रांक प. 2( ) स्था0राज0 / 2018 / 957 दिनांक 07.05.2018 के अनुसार डॉ0 ताखर कार्यग्रहण करने के पश्चात अगले ही दिवस अर्थात दिनांक 11.03.2017 से परिवीक्षा काल में स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थित चल रही है।

अतः डॉ0 संतोष ताखर के परिवीक्षा काल में बिना अनुमति के स्वेच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोष जनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ0 संतोष ताखर की वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी पद की सेवा एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(95) डी.एम.ई / 16 दिनांक 15.02.2017 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्रांक प. 2( ) स्था0राज0 / 2018 / 957 दिनांक 07.05.2018 के संदर्भ में।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ0 संतोष ताखर पुत्री श्री महेश कुमार ताखर, द्वारा श्री सूरजमल नवीन कुमार चौधरी, दर्जियों के मन्दिर के पास, बड़ा बाजार, निवाई, जिला– टोंक 304021 (राज.) (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव